

म०प्र० शासन वन विभाग

क्रमांक/समिति/11/2002/974

भोपाल दिनांक 23.11.2002

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)

मध्यप्रदेश, भोपाल.

विषय :-

वनोपज के काष्ठागारों से निर्वर्तन की प्रक्रिया में मूलभूत परिवर्तन बाबत।

राष्ट्रीयकृत वनोपज अन्तर्विभागीय समिति की बैठक दिनांक 30/10/2002 में (विषय क्रमांक 14) लिये गए निर्णय के अनुसार वनोपज के काष्ठागारों से निर्वर्तन की प्रक्रिया में मूलभूत परिवर्तन करने के लिये गठित की गई रेड्डी समिति के द्वारा प्रस्तुत अनुशंसाओं पर राज्य शासन एतद्वारा निम्नानुसार रवीकृति प्रदान करता है :-

14.1. अवरोध दरों के निर्धारण की प्रक्रिया :-

अवरोध दरों का निर्धारण करते समय पूरे एक वर्ष में प्राप्त औसत दरों के आधार पर अवरोध मूल्य निर्धारित किया जाये एवं वर्ष में एक बार ही अवरोध दर निर्धारित की जाये। अवरोध दरों की नई प्रक्रिया दिनांक 1.4.2003 से लागू की जाती है।

14.2. अवरोध दर पर इमारती लकड़ी का प्रदाय:-

विक्रय डिपो से किसी लाट का प्रथम नीलाम में निर्वर्तन नहीं होने पर अवरोध दर पर विक्रय डिपो से सीधी बिक्री की जा सकती है। विक्रय डिपो से लाट के सीधी बिक्री के संबंध में प्रक्रिया निर्धारित करने हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(उत्पादन) को अधिकृत किया गया।

14.3. वनमण्डलाधिकारी एवं वनसंरक्षकों को सागौन लकड़ी के विक्रय के अधिकार में वृद्धि :-

प्रथम नीलाम में अवरोध दर से कम मूल्य पर विक्रय करने हेतु वनमण्डलाधिकारी तथा वन संरक्षक को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। द्वितीय नीलाम से वनमण्डलाधिकारी को 10 प्रतिशत तथा वन संरक्षक को सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त होंगे।

म०प्र० के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

o/c

(के०पी० सिंह)

पदेन उप सचिव

म०प्र० शासन, वन विभाग

भोपाल दिनांक 23.11.2002

पृष्ठा क्रमांक/समिति/11/2002/975

प्रतिलिपि:- 1. प्रमुख सचिव, म०प्र० शासन वन विभाग, भोपाल

2. महालेखाकार (क्रमांक एक) म०प्र० ग्वालियर को (समिति की बैठक दिनांक 30-10-2002 में प्रस्तुत विषय पर संदर्भित टीप एवं कार्यवाही विवरण के उद्धरण की प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(के०पी० सिंह)

पदेन उप सचिव

म०प्र० शासन, वन विभाग

d/c

Ror